(97)

10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

R-634-I/13

समक्ष न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर

राजस्व पुनरीक्षण क्रमांक -

आवेदकगण

1. बिसनिया बाई पति कलीचंद उम्र 40 वर्ष
2. देवचंद पिता कलीचंद उम्र 25 वर्ष

दोनो निवासी ग्राम बिजोरी गुमाई तहसील उमरेठ , जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

विरूद्ध

अनावेदकगण

1. सुकलों बाई पिता चैतराम पति अबूचंद जाति गेंड़ उम्र लगभग 53 वर्ष निवासी - बिजोरी गुमाई , तहसील उमरेठ जिला - छिन्दवाड़ा (म.प्र.)।
2. आनंदी बाई पिता चैतराम पति झनकलाल धुर्वे जाति गोड़, उम्र लगभग 65 वर्ष , निवासी - ग्राम मानकादेई कला तहसील उमरेठ , जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)।
3. उमेदी पिता चैतराम पति दशरथ धूर्वे उम्र करीब 48 वर्ष निवासी ग्राम- बीजकबाड़ा, तहसील उमरेठ जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)।
4. सुभद्रा बाई पिता चैतराम पति बिजरभान मर्सकोले उम्र करीब 46 वर्ष , निवासी - ग्राम पटपड़ा, तहसील उमरेठ, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)।
5. सुमंत्रा पिता चैतराम पति सुरेश मर्सकोले उम्र करीब 42 वर्ष निवासी - ग्राम बिजोरी तहसील उमरेठ, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

14.2.13

14.2.13

14/2/13

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 - मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता

यह पुनरीक्षण याचिका माननीय न्यायालय तहसीलदार उमरेठ जिला छिन्दवाड़ा के राजस्व प्रकरण क्रमांक 73/अ-27/2011-12 पक्षकार सुकलोबाई बगैरह बिसनिया बाई बगैरह में पारित अतरिम आदेश दिनांक 21.01.13 से व्यथित होकर प्रस्तुत की जा रही है ।

याचिकाकर्ता की और से निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करते है:-

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-634-एक/13 **जिला** - छिंदवाड़ा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15/02/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.04.2019 को कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **कलेक्टर जिला छिंदवाड़ा**	